भागु और अन्य बनाम राम सरूप और अन्य, पीसी जैन एसीजे·और·आई एस. तिवाना, न्यायमूर्ति

समक्ष

श्री पीसी जैन माननीय मुख्य न्यायमूर्ति और श्री आई एस. तिवाना, माननीय न्यायमूर्ति

भागु और अन्य – अपीलार्थी

बनाम

राम सरूप और अन्य – प्रतिवादी

1980 की नियमित द्वितीय अपील संख्या 2282

·17 अप्रैल, 1985

सिविल प्रक्रिया संहिता (1908)—धारा 9—पंजाब गांव सामान्य भूमि (नियम) अधिनियम (1961 का XVIII) द्वारा संशोधित पंचायत में निहित शमिलत भूमि पर रास्ते के अधिकार का दावा करने वाले निजी व्यक्तियों के खिलाफ निषेधाज्ञा के लिए मुकदमा दायर - भूमि की प्रकृति या स्वामित्व के संबंध में वादी द्वारा पंचायत के खिलाफ कोई विवाद नहीं उठाया गया - सिविल कोर्ट - क्या मुकदमे पर विचार करने का क्षेत्राधिकार है - धारा 13 - क्या ऐसे .मामलों में .सिविल कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को बाहर कर देता है।

सिविल प्रक्रिया संहिता ,1908 की धारा 9 को पढ़ने पर निर्धारित किया गया कि एक नागरिक प्रकृति की शिकायत रखने वाले एक वादी को निस्संदेह किसी न किसी न्यायालय में मुकदमा दायर करने का अधिकार है, जब तक कि इसकी संज्ञान या तो स्पष्ट रूप से या परोक्ष रूप से वर्जित है। 1981 के हरियाणा अधिनियम संख्या 2 द्वारा संशोधित पंजाब विलेज कॉमन लैंड (विनियम) अधिनियम, 1961 की धारा 13 और 13-ए को पढ़ने से पता चलता है कि सिविल कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को धारा 13 में बताए गए प्रश्नों से बाहर रखा गया है। जब मामला किसी निजी व्यक्ति और पंचायत के बीच हो तो कार्रवाई करें। संक्षेप में, अधिनियम की धारा 13 का संपूर्ण निहितार्थ यह है कि जब मामला ग्राम पंचायत और निजी व्यक्ति के बीच होता है और यह उक्त धारा में निर्दिष्ट किसी भी प्रश्न से संबंधित होता है तो सिविल न्यायालय का अधिकार क्षेत्र खत्म हो जाता है। यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि उक्त धारा तब क्रियान्वित नहीं होगी जब विवाद दो निजी व्यक्तियों के बीच हो.। विपरीत दृष्टिकोण अपनाने का मतलब यह होगा कि सिविल कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को किसी भी संपत्ति या उसके हित से संबंधित किसी भी मुकदमे में पूरी तरह से तुच्छ दलील देकर बेदखल किया जा सकता है कि मुकदमे का विषय शमिलत देह या पंचायत की संपत्ति है। हालाँकि, वादी का यह दावा नहीं है कि या तो मुकदमे की संपत्ति को शमिलत के रूप में घोषित किया जाएगा या शमिलत से शामिल किया जाएगा या बाहर रखा जाएगा और केवल एक मार्ग के संबंध में विवाद उठाया गया है जो कि स्वीकार्य रूप से शमिलत है। मामले के इस दृष्टिकोण से, सिविल न्यायालय को मुकदमे पर विचार करने का अधिकार है।

(पैरा 4 एवं 5)

भागु और अन्य बनाम राम सरूप और अन्य, पीसी जैन एसीजे·और·आई एस. तिवाना, न्यायमूर्ति

लेहरी और अन्य बनाम अर्जन दास और अन्य, 1981 पीएलजे 52

खारिज कर दिया गया.

जिला न्यायाधीश, जींद के न्यायालय के .दिनांक 9 अगस्त 1980 के आदेश से नियमित द्वितीय अपील , उप न्यायाधीश प्रथम श्रेणी, सफीदों के आदेश, दिनांक 3 अप्रैल 1980, की पुष्टि जिसमें स्थायी निषेधाज्ञा की लागत के साथ एक डिक्री पारित करते हुए प्रतिवादियों को प्लॉट संख्या 208 के कब्जे में .हस्तक्षेप करने से रोका गया और आगे आदेश दिया गया कि जिस दीवार के माध्यम से प्रतिवादियों ने सड़क संख्या 212 को अवरुद्ध किया है उसे ध्वस्त कर दिया जाए और सरे आम सड़क साफ कर दी जाये।

याचिकाकर्ता की ओर से श्री बलराज बहल, अधिवक्ता, और उनके साथ ए.एल. बहल, अधिवक्ता

प्रतिवादी की ओर से .हरि मित्तल, अधिवक्ता

.निर्णय

श्री आई एस. तिवाना, माननीय न्यायमूर्ति-

1. इस दूसरी अपील में उठाया गया संक्षिप्त लेकिन कुछ जटिलता वाला प्रश्न न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से संबंधित है। यह निम्नलिखित तथ्यों पर उत्पन्न होता है।

2. वादी-प्रतिवादी राम सरूप ने 18 जुलाई, 1978 को इस आरोप के साथ वर्तमान मुकदमा दायर किया कि गांव ढाडोली , तहसील सफीदों , जिला जींद में स्थित दो भूखंडों संख्या 208 और 212 में से पहले का स्वामित्व उनका है और उत्तरार्द्ध एक सार्वजनिक सड़क है। वह और मुकदमे में प्रोफार्मा प्रतिवादी पिछले 30 से अधिक वर्षों से इस सड़क का उपयोग अपने घरों के लिए एक रास्ते के रूप में कर रहे थे। प्रतिवादी अपीलकर्ता जिद्दी व्यक्ति हैं, उन्होंने न केवल उन्हें प्लॉट नंबर 208 से बेदखल करने की धमकी दी, बल्कि वास्तव में प्लॉट नंबर 212 पर 6 फीट ऊंची दीवार का निर्माण किया और इस प्रकार, उनके घर के मुक्त मार्ग और अन्य प्रतिवादियों के घरों तक में बाधा उत्पन्न की। इस प्रकार, उन्होंने अपीलकर्ताओं को भूखंड संख्या 208 पर अपने कब्जे में कोई भी निर्माण या हस्तक्षेप करने से रोकने के लिए एक स्थायी निषेधाज्ञा की मांग की और इन अपीलकर्ताओं को दीवार और अन्य निर्माण को ध्वस्त करने और मार्ग को उसकी मूल स्थिति में बहाल करने का निर्देश देने के लिए एक अनिवार्य निषेधाज्ञा की मांग की। अपीलकर्ताओं ने उपर्युक्त आरोपों से इनकार करते हुए मुकदमा लड़ा। निम्नलिखित मुद्दों पर पार्टियों का परीक्षण किया गया:-

(1) क्या वादी विवादित भूखण्ड संख्या 208 का मालिक है ? OPP

(2) क्या इस प्लॉट नंबर 212 का उपयोग वादी द्वारा पिछले 30 वर्षों से अधिक समय से सड़क के रूप में किया जा रहा है ? OPP

भागु और अन्य बनाम राम सरूप और अन्य, पीसी जैन एसीजे·और·आई
एस. तिवाना, न्यायमूर्ति

(3) क्या प्रतिवादियों ने दिनांक 1.7.1978 को मुकदमा दायर करने से पहले सड़क संख्या 212 को अवरुद्ध कर दिया है ? OPP

(4) क्या वर्तमान स्वरूप में मुकदमा चलने योग्य नहीं है ? OPD

(5) क्या वादी के पास वर्तमान मुकदमा दायर करने का कोई अधिकार नहीं है ? OPP

(6) राहत

इस निष्कर्ष पर पहुंचने पर कि वादी प्लॉट नंबर 208 का मालिक था और प्लॉट नंबर 212 एक रास्ता था और 30 साल से अधिक समय से वादी द्वारा इसे मार्ग के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था और प्रतिवादी-अपीलकर्ताओं ने वास्तव में इसे अवरुद्ध कर दिया था। प्रश्नगत निर्माण को उठाकर, प्रार्थना की गई राहतें प्रदान की गईं। मुद्दे संख्या 4 और 5 के तहत यह माना गया कि मुकदमा वर्तमान स्वरूप में चलने योग्य था और वादी के पास इसे दायर करने का अधिकार था। अपील में, हालांकि ट्रायल कोर्ट के उपर्युक्त निष्कर्षों की जिला न्यायाधीश, जींद द्वारा पुष्टि की गई है, फिर भी उनके सामने उठाए गए और हमारे सामने दोहराए गए विवादों में से एक यह है कि सिविल कोर्ट के पास मुकदमे की सुनवाई करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था क्योंकि इसमें इस प्रश्न का निर्धारण कि प्लॉट संख्या 212 का हिस्सा बनने वाली भूमि एक रास्ता होने के कारण पंचायत में निहित थी या नहीं, शामिल था। उनके विद्वान वकील के अनुसार, पंजाब विलेज कॉमन लैंड्स (रेगुलेशन) एक्ट, 1961 (संक्षेप में, एक्ट) की धारा 13 के प्रावधानों के मद्देनजर उक्त न्यायालय द्वारा

ऐसा नहीं किया जा सका, जैसा कि उस दिन लागू था। मुकदमा दायर करना और जैसा कि अब 12 फरवरी से 1981 के हरियाणा अधिनियम, 1981 संख्या 2 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है,
पिछला भाग इस प्रकार है:-

> "13. क्षेत्राधिकार की वर्जना - किसी भी सिविल न्यायालय को अधिकार क्षेत्र नहीं होगा –
>
> (ए) किसी भी प्रश्न पर विचार करने या उस पर निर्णय लेने के लिए कि क्या कोई भूमि या अन्य अचल संपत्ति या ऐसी भूमि या अन्य अचल संपत्ति में कोई अधिकार या हित पंचायत में निहित है या नहीं इस अधिनियम के तहत; या
>
> (बी) किसी अन्य मामले के संबंध में जिसे निर्धारित करने के लिए किसी भी अधिकारी को इस अधिनियम के तहत या इसके तहत सशक्त बनाया गया है; या
>
> (सी) किसी भी अधिकार प्राप्त प्राधिकारी द्वारा इस अधिनियम के तहत तय की गई किसी भी कार्रवाई या किसी भी मामले की वैधता पर सवाल उठाने के लिए।"

धारा 13-ए और 13-बी के साथ इस धारा को बाद में इस अपील के लंबित रहने के दौरान वर्तमान धारा द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया था। हालाँकि, हमारी राय में, इस मामले के भाग्य में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है क्योंकि पार्टियों के विद्वान वकील इस बात पर सहमत हैं कि 1981 के हरियाणा संशोधन अधिनियम संख्या 2 द्वारा लाई गई क्षेत्राधिकार की बाधा लंबित अपीलों पर भी लागू होती है। नया प्रतिस्थापित अनुभाग इस प्रकार है:-

भागु और अन्य बनाम राम सरूप और अन्य, पीसी जैन एसीजे·और·आई एस. तिवाना, न्यायमूर्ति

"13. क्षेत्राधिकार की वर्जना - किसी भी सिविल न्यायालय का क्षेत्राधिकार नहीं होगा -

(a) किसी भी प्रश्न पर विचार करना या उस पर निर्णय देना -

(i) कोई भी भूमि-या अन्य अचल संपत्ति शमिलत-देह है या नहीं है,

(ii) कोई भी भूमि या अन्य अचल संपत्ति या ऐसी भूमि या अन्य अचल संपत्ति में कोई अधिकार, स्वामित्व या हित इस अधिनियम के तहत पंचायत में निहित है या निहित नहीं है,

(b) किसी भी मामले के संबंध में जिसे निर्धारित करने के लिए कोई राजस्व न्यायालय, अधिकारी या प्राधिकारी इस अधिनियम के तहत या इसके तहत सशक्त है, या

(c) इस अधिनियम के तहत ऐसा करने के लिए अधिकृत किसी राजस्व न्यायालय, अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गई किसी भी कार्रवाई या निर्णय किए गए मामले की वैधता पर सवाल उठाना।'

अपने उपर्युक्त रुख के समर्थन में, अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील ने इस न्यायालय के एकल पीठ के फैसले **लेहरी और अन्य बनाम अर्जन दास और अन्य**[1],निर्णय पर दृढ़ भरोसा जताया जिसमें लगभग समान तथ्यों पर विद्वान न्यायाधीश द्वारा यह निर्धारित किया गया है कि मामला सिविल न्यायालय द्वारा तय किए जाने में असमर्थ है। चूँकि मुझे इस फैसले में व्यक्त राय से सामंजस्य बिठाने में कुछ कठिनाई महसूस

[1] 1981 पीएलजे 52

हुई, इसलिए मैंने मामले को एक बड़ी पीठ के पास भेज दिया। इस तरह अपील अब निस्तारण के लिए हमारे सामने है।

3. हालांकि पक्षों की दलीलों में विचाराधीन भूमि को शामिलात नहीं बताया गया है देह और जो कुछ भी कहा गया है और खंडन किया गया है वह यह है कि यह एक " गली शेह -रे- आम " है, फिर भी यह तथ्यात्मक स्थिति वर्ष 1976-77 की जमाबंदी की प्रविष्टियों (प्रदर्शन पृष्ठ 7) से समर्थित है। अधिकारों के इस रिकॉर्ड के अनुसार, भूमि का स्वामित्व नगर पंचायत के पास है। निर्विवाद रूप से किसी गाँव की आबादी देह या गोरा देह के भीतर की सड़कें और गलियाँ अधिनियम की धारा 2(जी)(4) के प्रावधानों के अनुसार " शमिलत देह " की परिभाषा के अंतर्गत आती हैं और पंचायत में निहित है।

4. उठाए गए विवाद का उत्तर स्पष्ट रूप से अधिनियम की वर्तमान धारा 13 की वास्तविक सामग्री और दायरे को जानने पर निर्भर है। प्रथम दृष्टया, अनुभाग की भाषा निस्संदेह अपीलकर्ताओं के वकील के रुख का समर्थन करती प्रतीत होती है, फिर भी गहराई से विचार करने पर हम पाते हैं कि यह अस्थिर है।

5. सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 9 के आलोक में, एक वादी जिसके पास नागरिक प्रकृति की शिकायत है, उसे निस्संदेह, किसी भी क़ानून से स्वतंत्र, किसी न्यायालय या अन्य में मुकदमा दायर करने का अधिकार है, जब तक कि उसका संज्ञान स्पष्ट रूप से या निहित रूप से वर्जित न हो। यद्यपि कानून का प्रस्ताव है कि सिविल न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को छोड़कर किसी क़ानून की

भागु और अन्य बनाम राम सरूप और अन्य, पीसी जैन एसीजे·और·आई एस. तिवाना, न्यायमूर्ति

व्याख्या करते समय किसी को आवश्यक रूप से इसके संचालन को कम करने या इसके उद्देश्यों को कम करने या संशोधित करने का प्रयास नहीं करना चाहिए ताकि व्याख्या के नियम को प्रभावी बनाया जा सके। अधिकार क्षेत्र का तुरंत अनुमान नहीं लगाया जाना चाहिए कि यह अच्छी तरह से तय है, फिर भी यह सिद्धांत समान रूप से अच्छी तरह से स्थापित है कि सिविल कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को बाहर करने वाले कानून को सख्ती से समझा जाना चाहिए (**एआईआर 1966 सुप्रीम कोर्ट 1718 देखें**)। इन सिद्धांतों के आलोक में अधिनियम की धारा 13 के दायरे और सामग्री की जांच की जानी चाहिए। 1981 के हरियाणा संशोधन अधिनियम संख्या 2 के तहत वर्तमान धारा के प्रतिस्थापन की आवश्यकता उद्देश्यों और कारणों के विवरण में निम्नलिखित शब्दों में बताई गई है: -

"कई जगहों पर शामलात ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों की मिलीभगत से कई बार बेईमान व्यक्तियों द्वारा देह पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया है। इस बुराई से निपटने के लिए 1974 में पंजाब विलेज कॉमन लैंड्स (रेगुलेशन) एक्ट, 1961 में कुछ संशोधन किए गए थे। हालाँकि, जब पंजाब और हरियाणा के उच्च न्यायालय में परीक्षण किया गया, तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत इनमें से कुछ प्रावधानों को रद्द कर दिया गया। वर्तमान विधेयक उच्च न्यायालय द्वारा पाई गई कमजोरियों को दूर करने का प्रयास करता है। इसमें पंजाब विलेज कॉमन लैंड्स (रेगुलेशन) एक्ट, 1961 में कुछ प्रासंगिक बदलाव करने का भी प्रस्ताव है, ताकि इसके कुछ

प्रावधानों को और अधिक स्पष्ट किया जा सके ताकि अधिक प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सके।"

यह संशोधन शमिलत भूमि के हड़पने को रोकने के उद्देश्य से लाया गया था। इसके अलावा, इस उद्देश्य को शीघ्रता से या कम से कम समय में प्राप्त करने के लिए, विधानमंडल ने इस खंड के खंड (ए) और (बी) में बताए गए प्रश्नों पर विचार करने के लिए सिविल न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बाहर करना उचित समझा। इस खंड द्वारा किस प्रकार के न्यायनिर्णयन की परिकल्पना की गई है, यह अगले निम्नलिखित खंड 13-ए द्वारा भी अच्छी तरह से दर्शाया गया है। इन दोनों धाराओं को संयुक्त रूप से पढ़ने पर यह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि जब मामला किसी निजी व्यक्ति और पंचायत के बीच होता है, तो धारा 13 में बताए गए प्रश्नों पर विचार करने या निर्णय देने से सिविल न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बाहर रखा जाता है। दूसरे शब्दों में, यह केवल तब होता है जब धारा 13 के खंड (ए) और (बी) में निर्दिष्ट प्रश्नों के निर्धारण या निर्णय के लिए प्रतियोगिता पंचायत और एक निजी व्यक्ति के बीच होती है, जिससे सिविल न्यायालय का अधिकार क्षेत्र वर्जित हो जाता है। यह स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत की तुलना में किसी विशेष भूमि या अचल संपत्ति पर किसी निजी व्यक्ति का अधिकार, स्वामित्व या दावा पंचायत को मुकदमे में पक्षकार बनाए जाने की अनुपस्थिति में तथ्यात्मक और प्रभावी ढंग से तय नहीं किया जा सकता है। पंचायत में निहित या निहित मानी जाने वाली संपत्तियों के बारे में किसी व्यक्ति द्वारा अपने पक्ष में, मिलीभगत से या किसी प्रतियोगिता के बाद प्राप्त की गई कोई भी डिक्री, मुकदमेबाजी में पक्षकार होने की अनुपस्थिति में ग्राम पंचायत को कभी भी बाध्य नहीं कर सकती है। न्यायनिर्णयन शब्द का निहितार्थ अंततः न्यायिक तरीके से विवाद के विषय-वस्तु पर दो प्रतियोगियों के अधिकारों को निर्धारित करना है।

भागु और अन्य बनाम राम सरूप और अन्य, पीसी जैन एसीजे·और·आई एस. तिवाना, न्यायमूर्ति

"न्यायनिर्णयन" के आवश्यक लक्षणों में से एक है *प्रोप्रियो विगोर* बाध्यकारी और पार्टियों के बीच अधिकारों और दायित्वों का निर्माण करता है। ऐसा तब तक कभी नहीं किया जा सकता जब तक कि विवाद पंचायत और किसी निजी व्यक्ति के बीच शामिलात देह या कोई अन्य भूमि या अचल संपत्ति या उसमें कोई अधिकार के संबंध में ना हो और जब तक कि पंचायत मुकदमे में वास्तविक पक्ष न हो। हालाँकि इस खंड के खंड (ए) के शुरुआती भाग में आने वाले शब्द "मनोरंजन" का आम तौर पर मतलब "फ़ाइल पर प्राप्त करना या फ़ाइल पर रखना" हो सकता है, फिर भी जिस संदर्भ में यह आता है उसका मतलब केवल यह है कि सिविल कोर्ट ऐसा नहीं कर सकता है। मुकदमे या दावे को गुण-दोष के आधार पर निपटाना होगा और यदि यह अनुभाग में निर्दिष्ट किसी भी प्रश्न से संबंधित है तो इसे रखरखाव योग्य नहीं मानते हुए इसे अस्वीकार कर देना होगा। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने **समर्थ ट्रांसपोर्ट कंपनी बनाम क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण[2],** के मामले में मोटर वाहन अधिनियम, 1939 की धारा 68 एफ के संदर्भ में कहा है, जिसमें यह निर्धारित किया गया है कि क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण किसी भी अन्य परमिट के नवीकरण के लिए किसी भी आवेदन को "स्वीकार करने से इंकार" कर सकता है। तो, संक्षेप में अधिनियम की धारा 13 का पूरा निहितार्थ यह है कि सिविल न्यायालय का अधिकार क्षेत्र छीन लिया जाता है जब मामला ग्राम पंचायत और एक निजी व्यक्ति के बीच है और यह इस खंड में निर्दिष्ट किसी भी प्रश्न से संबंधित है। यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि यह धारा तब प्रभावी नहीं होगी जब मामला या विवाद दो निजी व्यक्तियों के बीच

[2] एआईआर 1961 सुप्रीम कोर्ट 93

हो। यदि अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील के तर्क को स्वीकार किया जाना है और उसके तार्किक अंत तक ले जाना है, या अधिनियम की धारा 13 को उनके द्वारा सुझाई गई व्याख्या के अधीन किया जाना है और किसी भी संपत्ति या उसके हित से संबंधित प्रत्येक मुकदमे में लिखित बयान में पूरी तरह से तुच्छ दलील देकर कि मुकदमे का विषय शमिलत है देह या पंचायत की संपत्ति सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार को किसी भी मामले में बाहर किया जा सकता है। विद्वान वकील के अनुसार, ऐसी दलील के सामने, भले ही विवाद का विषय शहरी संपत्ति या ऐसी संपत्ति हो, जिसके साथ पंचायत का दूर-दूर तक कोई संबंध नहीं है, सिविल कोर्ट का अधिकार क्षेत्र खत्म हो जाता है। संक्षेप में, उनके अनुसार, सिविल कोर्ट के पास किसी भी संपत्ति के मामले में मुकदमा चलाने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं होगा जिसमें तिवादी ने चाहे कितने भी तुच्छ या शरारती आधार पर दलील दी हो कि विवाद में संपत्ति शमिलत देह या पंचायत की संपत्ति है या नहीं। यदि इस तर्क को स्वीकार किया जाए, तो प्रतिवादी की उपरोक्त तुच्छ दलील के आधार पर व्यावहारिक रूप से सभी सिविल न्यायालयों को उनके अधिकार क्षेत्र से वंचित कर दिया जाता है। हमें नहीं लगता कि मौजूदा धारा या पिछली धारा 13 को क़ानून में शामिल करने के पीछे विधायिका की कोई मंशा थी। मौजूदा मामले में, वादी का यह दावा नहीं है कि या तो वाद संपत्ति (प्लॉट नंबर 212) को शमिलत देह घोषित किया जाए या शमिलत से शामिल या बाहर रखा जाये। उनके द्वारा वाद-पत्र में केवल इतना कहा गया है कि वाद की भूमि " शेह -रे- आम गली " है जो केवल तथ्य का एक बयान है। प्रतिवादी द्वारा इस तथ्य को नकारने से इस प्रश्न का समाधान या निर्धारण हो गया कि क्या विवाद वाली भूमि शेह -रे- आम गली थी या एक रास्ता जिसका उपयोग वादी पिछले लगभग 30 वर्षों से अपने घर के रास्ते के रूप में कर रहा था। ट्रायल कोर्ट का यह निर्धारण वादी द्वारा मांगी गई प्रार्थना या राहत के लिए केवल सहायक था। किसी भी तरह का कोई भी निष्कर्ष संबंधित भूमि पर पंचायत के हित या स्वामित्व को

भागु और अन्य बनाम राम सरूप और अन्य, पीसी जैन एसीजे·और·आई एस. तिवाना, न्यायमूर्ति

प्रभावित नहीं करेगा। इसके आलोक में हमें **लेहरी के मामले (सुप्रा)** या इस न्यायालय के कुछ अन्य एकल पीठ निर्णयों में व्यक्त दृष्टिकोण का समर्थन करना मुश्किल लगता है, जिसका संदर्भ अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील द्वारा दिया गया था, जैसा कि उपरोक्त किसी भी मामले में नहीं है। मामले के नोट किए गए पहलू को ध्यान में रखा गया और इस प्रकार इसे खारिज कर दिया गया।

6. इस प्रकार हम इस अपील में कोई योग्यता नहीं पाते हैं और इसे खारिज कर देते हैं लेकिन लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

आदित्य जैन
सिविल जज (जूनियर डिविजन) व प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
पानीपत, हरियाणा।